UPMZ010074722026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुजफफरनगर

उपस्थित : बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2970 सन 2026

अजय पुत्र सुरेशपाल
निवासी ग्राम मलकपुरा थाना जानसठ
जनपद मुजफफरनगर
हाल निवासी ग्राम मोरना थाना भोपा,
जनपद मुजफफरनगर

—आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—विपक्षी

अपराध संख्या—250 सन 2026
धारा—127 (2), 123, 351 (3), 61 (2),
64 भारतीय न्याय संहिता
थाना—नई मण्डी
जनपद— मुजफ्फरनगर

19.06.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से थाना नई मण्डी, जनपद मुजफफरनगर के अपराध संख्या—250 सन 2026 धारा—127 (2), 123, 351 (3), 61 (2), 64 भारतीय न्याय संहिता के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उसे इस मामले में रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है।

यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व धारा 64 व 123 भारतीय न्याय संहिता की कोई घटना प्राथमिकी में नहीं दर्शायी गयी है। यह भी कहा गया है कि घटना दिनांक 18.05.2026 को समय 12 बजे दिन मोरना में होना बताया गया है जबकि मोरना में पुलिस चौकी है तथा करीब पांच किलोमीटर दूर थाना भोपा है और 112 नम्बर पुलिस को कॉल करके पीडिता ने बुलाया है जबकि प्राथमिकी के अनुसार घटना थाना भोपा में होना बताया गया है और प्राथमिकी थाना भोपा पर दर्ज न कराकर अपनी जान पहचान के कारण अगले दिन दिनांक 19.05.2026 को समय 8.21 बजे थाना नई मण्डी पर दर्ज करायी है। इस प्रकार कहा गया है कि पीडिता दिनांक 18.05.2026 व 19.05.2026 को रात के समय कहां रही, इसका कोई स्पष्टीकरण प्राथमिकी में नहीं दिया गया है।

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.19 17:39:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अंत में कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त की सह अभियुक्त से रंजिश चली आ रही है। इसी रंजिश के कारण आवेदक/अभियुक्त को कतई गलत फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 20.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है। इस प्रकार जमानत स्वीकार करने की मांग की गयी। समर्थन में शपथ पत्र, खारजा आदेश दाखिल किया गया है।

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया कि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित है। उसके विरूद्व गंभीर प्रकृति का आरोप है। इस प्रकार अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

3. उभयपक्षों को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा केस डायरी पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

4. अभियोजन कथानक के अनुसार वादिया मुकदमा/पीडिता द्वारा घटना दिनांकित 18.05.2026 समय 12.00 बजे के संबंध मे दिनांक 19.05.2026 को समय 8:21 बजे थाना नई मण्डी पर आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्त शहजाद को नामित करते हुए इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है कि वह कैथल हरियाणा की रहने वाली है। वादिया व उसकी सहेली नीलम का फोन से कॉन्टैक्ट गुरूजी शहजाद से हुआ था। शहजाद ने पूजा करने के बहाने उन्हे मुजफफरनगर बुलाया और बोला था कि यहीं पर आकर उन्हें पूजा करनी पडेगी। दिनांक 18.05. 2026 को कैथल से समय करीब 12.00 बजे शहजाद के बताये अनुसार भोपा पुल के नीचे बस से उतर गये तो वहां पर दो मोटर साईकिल पर शहजाद व अजय मिले और उन दोनों को अलग अलग मोटर साईकिल पर बैठाकर अस्पताल के पास मोरना मुजफफरनगर लेकर गये। वहां पर अजय की पत्नी भी मौजूद थी। अजय व शहजाद ने षडयंत्र रचकर वादिया को अपने घर के कमरे में शहजाद के साथ पूजा करने के लिये भेज दिया। शहजाद ने पूजा करने के बहाने कमरे की कुंडी अन्दर से बंद कर ली और दीपक जलाकर पूजा पाठ करने लगा। शहजाद ने पूजा के बहाने उसे बर्फी खिलाकर बेहोश कर दिया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। जब उसे होश आया तो उसके शरीर पर एक भी कपडा नहीं था। उसने शहजाद से कहा कि अब वह यह बात पुलिस को बतायेगी तो शहजाद ने बोला कि उसने उसकी विडियो बना ली है, वायरल कर देगा। कमरे से बाहर आकर उसने यह बात अपनी सहेली व अजय को बतायी तो शहजाद व अजय ने बोला कि चुप रहो नहीं तो जान से मार देंगे और उन दोनों को शहजाद व अजय मोटर साईकिल पर बैठाकर जंगल में छोडकर भाग गये। इस संबंध में 112 नम्बर पर कॉल की थी।

5. दौरान विवेचना वादिया मुकदमा/पीडिता का धारा 180 बीएनएसएस का बयान विवेचक द्वारा केस डायरी में अंकित किया गया है जिसमें उसने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। वादिया मुकदमा/पीडिता ने मैडिकल के समय चिकित्सक के समक्ष घटना का समर्थन किया है।

इसी प्रकार वादिया मुकदमा की सहेली नीलम के बयान भी विवेचक द्वारा अंतर्गत धारा 180 बीएनएसएस अंकित किये गये हैं जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि वह तथा उसकी सहेली पीडिता को शहजाद ने फोन करके बोला कि पूजा के लिये मुजफफरनगर आना पडेगा। फिर वे दोनो दिनांक 18.05.2026 को समय 12.00 बजे भोपा पुल के नीचे बस से उतर गये। फिर वहां से वे दोनों शहजादा व अजय उन्हें अलग अलग मोटर साईकिलों पर बैठाकर मोरना ले गये। वहां पर अजय की पत्नी भी मौजूद थी। अजय और शहजाद ने षडयंत्र रचकर उसकी सहली को पूजा करने के लिये भेज दिया। पूजा करने के आधे घंटे बाद पीडिता कमरे से बाहर आयी। उसने उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि शहजाद ने उसका बलात्कार किया है और बताया कि पूजा के समय मिठाई खिलाई थी जिसके बाद वह बेहोश हो गयी।

अब तक की विवेचना से जाहिर होता है कि घटनास्थल आवेदक/अभियुक्त का हाल पता ग्राम मोरना थाना भोपा जनपद मुजफफरनगर कहा गया है जहां घटना के ठीक पहले आवेदक/अभियुक्त अजय व उसकी पत्नी को भी एक साथ उपस्थित होना बताया गया है। इसी प्रकार यह भी स्पष्ट होता है कि सह अभियुक्त शहजाद द्वारा आपराधिक षडयंत्र के तहत पूजा कराने के बहाने कमरे की कुंडी अन्दर से बंद करके पीडिता को नशीली बर्फी खिलाकर उसके साथ जबरन बलात्कार करना कहा गया है, जिसमें आवेदक/अभियुक्त की सक्रिय भूमिका इस स्तर पर प्रथम दृष्टया परिलक्षित होती है।

अतः आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप की गंभीरता, तत्सबंधी दंड, कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता के तथ्य को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के मत में आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत के संबंध में बताये गये आधार उचित एवं पर्याप्त नहीं पाये जाते हैं। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **अजय पुत्र सुरेशपाल** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

दिनांकः 19.06.2026